कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1452 /12-1 : देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय , 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :— जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(FP/UK/ROAD/21335/2016)

सन्दर्भ :—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक— 8बी/यू. सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक— 05.03.2024।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 07 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी । जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या—300/12—1, दिनांक—02.08.2024 एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून के पत्र सं0 704/12—1, दिनांक—06.11.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :—

क्र0 सं0	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
1	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक—1)
2	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती के द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 है0 वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2.292 है0 वन भूमि संरेखण हेतु तथा 1.125 है0 वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, एंव वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, के द्वारा अवगतनीय है कि अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 2.065 है0 वन भूमि एवं 0.63 है0 सिविल भूमि कुल 2. 695 है0 भूमि संरेखण हेतु तथा 1.04 है0 वन भूमि को डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गयी है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस- पास के क्षेत्र में सिविल सोयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
3	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि It has been Rectify & uploaded in part-I as additional Information. New CB analysis has been annexed. (संलग्नक—2)
4	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
5	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped,	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि Proper muck dumping scheme जिसमें swell factor 25 % तथा

	dumping site capacity, swell factor, etc.	Reused Material को 40% लिया गया है, जो संलग्न है। (संलग्नक–3)
6	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 हे0 वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 3.417 हे0 तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 3.735 हे0 वन भूमि प्रस्तावित है।
7	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अवगतनीय है कि विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 हे0 तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470 हे0 अर्थात कुल 14.304 हे0 चयनित किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 6.834 हे0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी के अनुसार उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग–2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है एवं अपर यमुना वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर यमुना वन प्रभाग के अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 7.470 हे0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया । उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग–2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–उपरोक्तानुसार।)

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 1443 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को पत्र संख्या–300 / 12–1, दिनांक–02.08.2024 एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक–6.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।

87—राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष—0135—2745779 E-mail (cfyamu-forest-uk@nic.in)

पत्रांक :— 704 /12—1, देहरादून, दिनांक, 06 नवम्बर, 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :— जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापडा—कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। **(FP/UK/ROAD/21335/2016)**

संदर्भ :— क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/35/2021/एफ0सी0 दिनांक 05.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, भारत सरकार द्वारा सृजित कमियों का प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग,बडकोट द्वारा निराकरण कर बिन्दुवार आख्या पत्रांक 1272/12—1 दिनांक 24.10.2024 से इस कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की गई है। आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त निराकरण आख्या मय संस्तुति के मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

उत्तरकाशी
...का०केर०,

...नो०

भवदीया

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक :— 704 /12—1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि:— प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग,बडकोट को सूचनार्थ प्रेषित ।

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
फोन/फैक्स नं0- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेन्टर-9208008000

पत्रांक- 1272 /12-1 दिनांक, 24 / अक्टूबर / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक- 8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक- 05.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र-1544/1सी0, दिनांक- 18.10.2024 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जा रही है-

क्र0 सं0	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
1	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक-1)
2	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 है0 वन भूमि में से अपर यमुना वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2.065 है0 वन भूमि एवं 0.63 है0 सिविल भूमि कुल 2.695 है0 भूमि संरेखण हेतु तथा 1.04 है0 वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस-पास के क्षेत्र में सिविल सोयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
3	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	It has been Rectify & uploaded in part-I as additional Information. New CB analysis has been annexed. (संलग्नक-2)
4	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
5	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	Proper muck dumping scheme जिसमें swell factor 25 % तथा Reused Material को 40% लिया गया है, जो संलग्न है। (संलग्नक-3)
6	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 है0 वन भूमि में से अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत 3.735 है0 वन भूमि तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 3.417 है0 प्रस्तावित है।
	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470

Scanned with CamScanner

		है0 तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है0 अर्थात कुल 14.304 है0 चयनित किया गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 7.470 है0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग–2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–4)

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

पत्रांक– /12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
E-mail - eecdpwd_ukl@rediffmail.com Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1544 / 1 सी०　　　　दिनांक 18 /10 /2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट, उत्तकाशी।

विषय :- प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/21335/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयक प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/21335/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
1	The Proposed road alignment is not Connecting to any village or habitation. State govt shall submit the justification for the Proposed road.	justification संलग्न है।
2	As per Part-I of the Proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost project is 1478.57 lakh. State government shall submit the clarification in this regard.	Part-I of the Proposal, the cost of project Rectify कर दिया गया हैं।
3	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	Proper muck dumping scheme submit कर दिया गया हैं जिसमें swell factor 25%, reused Material 40% है।
4	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State government shall submit the clarification in this regard.	proposed diversion area 7.152 हैं, जिसमें उत्तरकाशी वनप्रभाग में आरक्षित वनभूमि 2.292 हे० एवं डम्पिंग याड़ 1.125 हे० एवं बडकोट वनप्रभाग में आरक्षित वनभूमि 2.065, सिविल वनभूमि 0.63 हे० एवं डम्पिंग याड़ 1.04 हे० है। इस प्रकार कुल डाईवजन क्षेत्र 7.152 हे० है जिसकी के०एम०एल० फाइल अपलोड़ कर दी गई है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., चिन्यालीसौड़,
उत्तरकाशी

/ORK CD PWD\Online Forest paper\EDS Letter.doc (- 101 -)

Scanned with CamSc

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधि...

उपयोगिता / औचित्य प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग चिन्यालीसौड़ तथा नौगांव ब्लांक मुख्यालय को आपस मे जोडता है। मार्ग निर्माण से दोनों ब्लॉक के मध्य 150 कि.मी. की अतिरिक्त दूरी कम हो जायेगी, जिससे चिन्यालीसौड ब्लांक की आवादी 49900 तथा नौगांव ब्लॉक की आवादी 19364 प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का समरेखण कई तोकों जैसे हुकाली आवादी लगभग 102, कोठारी आवादी लगभग 40, गंगकल आवादी लगभग 30, चूलीखेत आवादी लगभग 80, ताथ आवादी लगभग20, क्यागटी आवादी लगभग 40, पीलाना .आवादी लगभग 45, गोटाछानी आवादी लगभग 23, चापड़ा आबादी लगभग 610, गोटावागी आवादी लगभग 92 चोडाछानी आवादी लगभग 32 से गुजरता है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग में कास्तकारों के अनेकों वाग वगीचे पड़ते है। प्रस्तावित मार्ग निर्माण से मार्ग के पास पड़ने वाले बगीचों से अपनी नकदी फसलें बाजार तक लाने में तथा उपरोक्त तोकों पर स्थित आवादी वीमारी की अवस्था में अस्पताल लाने में सुविधा होगी। यह मार्ग आपदा के समय दोनो ब्लॉक को जोड़ने हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम आयेगा। उक्त मार्ग हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा वहुत मांग की जा रही है। मार्ग की दूरी 150 कि.मी. कम होने से ईधन की खपत कम होगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

(संलग्नक – 2)

प्रारूप–29

(5.00 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

कार्य का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे सिलक्यारा–बनगाव –चापडा–करालाना मोटर का विस्तार कार्य 9.00 कि0मी0 लम्बाई निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Block- chinyalisaur

Distt- Uttarkashi

Sr.No	Particulars	Amount (Lacs)	Remarks
1	Total cost (investment incurred')		
(A)	Construction cost of project	500.00	
(B)	NPV Amount to be disposited (32.08+31.56)	63.64	
(C)	Subsitute Alternative plantation cost to be disposited (15.73+17.20)	32.93	
	Environment Value	-	
	Total	596.57	
2	Benefits- Benefits from (Taking age of Road as 50 years)	50 years	
(A)	Economics Benefits development (a) Motor vehicle operating cost saving (b) Value of time saving	342.00	
	TOTAL EMPLOYEMENT	342.00	
(B)	Direct Employment of Labours take 5 pepole get per month @ 5000.00 benefit for 1 year=5000x5x12=630000 50 Year benefit =50x630000=31500000	315.00	
	TOTAL EMPLOYEMENT	315.00	
(C)	Employement genration due to other activities	–	
ote	There of construction is economical viable and socially benificial	225.00	
	Total Benefit	1478.57	

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

प्रारूप–29.1

कार्य का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–कसलाना मोटर का विस्तार कार्य 9.00 कि0मी0 लम्बाई निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Anneexure-VI(B)

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Si No	Particulars	Amount in Lakhs
1	Loss of value of timber,fuel wood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities.	total 667 Effected trees by 9.00 Km. length has been compensated by road side plantation costing to Rs. 38.06 Lacks.
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	No losses of animal husbandry it will assist people to develop occupation.
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No any facilities diverted due to project. No forest land is effecting their facilities.
5	Environmental losses;(Soil erosion,effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	NA
	Suffering to oustees	NA
	TOTAL COST	38.06 lakhs

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उ0)
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

प्रारूप-29 2

नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में [illegible] मोटर मार्ग का कार्य 9.00 किमी. लम्बाई निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

parameter for Evalution of benefit,not withstanding loss of forests

Anneaxure VI (C)

	Parameters	Road Tr lines & Railway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project	Vegitable and fruits 200 Qtl @ 1200/ =240000.00 For 50 years = 240000x50 = 12000000.00 =say 120.00 lac
2	Benefits to economy	About Rs 2.00 lac due to milk production ,vegitable, fruit, tourism and other mining mineral material
3	No of population benifited	200
	Empolyment Potential	5 permanent and above 60 temporary labours in this project will get employmet to local youth their social economic cultural emotional life structure will be benifited = 65x300x365x2=142.35 lacs
4	Economics benefits market development taking shops	Assuming 10 shopes will be established after construction of above road Minimum benefits per shop per day Rs 250.00 Benifts for shopes per month =10x30x250 =75000.00 Benefits for 1 year = 75000 x12 =900000.00 Benefits for 50 year =9.00x 50= 450 lac
5	cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible	Nap land 0.212 hct@ 49.10 lacs per hect =10.31 lacs
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land	Nil
7	Cost of rehabilitating the displaced person as different from compensatory amounts given for displacement	Nil
8	Cost of supply of free fuel wood to workers residing in or near forest area during the period of construction	Kerosene oil, gas connection services is available in the area, dry fuel wood will be sufficent from nearby nigam depo during construction.
a	Medical parameter	In case of accident or any medical emergency the people of the village nearby will get medical facilities at with in time.
b	Educational Parameter	The school going children involved in agricultural activities shall be able to go nearby colleges for higher education.
	Enviormental Parameter	In case of any fire in nereby forest,the forest department fire brigade will be able to control quickly.
	Tourism Parameter	Tourism employment will be increased by providing at least 3 people @1.50 lac per person benefits for 1 years 150000x3 =450000.00 benefits for 50 years 450000x50 =22500000.00 say 225.00 lacs

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
उत्तरकाशी

COST BENEFIT RATIO

ANNEXURE D

कार्य का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में सिलक्यारा बनगांव –भाण्डा–कमरलाना मोटर का विस्तार कार्य 9.00 कि0मी0 लम्बाई निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

TOTAL PROJECT COST 1478.57 LAKHS

TOTAL BENEFIT AS PER ANNEXURE C 947.31 LAKHS

COST BENFITS RATIO = PROJECT COST/TOTAL BENFITS

CBR=1478.57/947.31

CBR= 1.56 ,

The c/b ratio is greater then 1 hence the project is vailbale

AE

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

MUCK DISPOSAL PLAN

NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF BANGAON-CHAPARA-KASLANA MOTOR ROAD FOR STAGE-I WORKS UNDER PWD CHINYALISAUR, UTTARKASHI

ROAD LENGTH	:-	9.00 KM.
BLOCK	:-	CHINYALISAUR
DISTRICT	:-	UTTARKASHI

Scanned with CamScanner

MUCK DISPOSAL/MANAGEMENT PLAN FOR BANGAON-CHAPARA-KASLANA MOTOR ROAD FOR STAGE-I WORKS UNDER PWD CHINYALISAUR, UTTARKASHI

Muck disposal plan prepared as following:-

1- **Calculation of muck to generated including swell factor**
   Total muck generated during construction of road=157500.00 cum
2- **Quantity of muck to be utilized in the project activities**
   As per attached sheet= cum
3- **Balance quantity of muck which required for disposal/management plan**
   (157500.00-15750.00)cu.m =141750.00 cum
4- **Carriage of muck from the muck generation site to dumping site**
   Muck will be carry by contractor as their own cost as per bond condition.
5- **Ownership of land and the consent of land owner**
   Muck will be dump on forest land as attachment of record. Photo graphs always attached as per carrying capacity. Capacity of dumping zone to be prepared on forest land is **141900.00 cum** but required quantity is only **141750.00 cum**
6- **Development of dumping site, construction of retaining walls and other structure**
   Cost of protection work i.e.-R/walls, wire crates etc. against muck dumping point in forest land will be construct by C.D, PWD Chinyalisaur Uttarkashi proposed muck dumping point.
7- **Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrub and tree species**
   Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrub and tree species by construction agency C.D, PWD Chinyalisaur.

Cost of Dumping site:- ....

Undertaken as per following by User agency (C.D, PWD Chinyalisaur, Uttarkashi)

1- *Muck management plan will be implemented by C.D, PWD Chinyalisaur, Uttarkashi. In case non implementation of plan we will be liable to penalty/action.*
2- *The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.*

यक अभियन्ता
खण्ड लो०नि०वि०
सौड़ उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
यमुना वन प्रभाग

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

1- CONSTRUCTION OF BANGAON-CHAPARA-KASLANA MOTOR ROAD FOR STAGE-I WORKS UNDER PWD CHINYALISAUR, UTTARKASHI Muck disposal annexure-I

2- DETAILS OF MUCK DISPOSAL YARDS WITH LAND OWNERS, ANNEXURE-II

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता।
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
चिन्याली सौड (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन [illegible]
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय [illegible]
[illegible]
[illegible] उत्तरकाशी)

Annexure-I

Name of work :- CONSTRUCTION OF BANGAON-CHAPARA-KASLANA MOTOR ROAD FOR STAGE-I WORKS UNDER PWD CHINYALISAUR, UTTARKASHI

S.No.	Particulars	Quantity	Unit
1	Total material received from reserve forest and civil soam land during hill side cutting.		
(i)	Reserve forest and nap Land (1/2 x 4.00 x 7.00 x 9000.00)	126000.00	cum.
	Total	**126000.00**	cum.
(ii)	Add 25% swell factor	31500.00	cum
	G.Total	**157500.00**	cum.
	DISPOSAL AND USE OF MATERIAL		
	Total Use of material 10 %		
	Total Use	15750.00	cum.
	Material disposal by cartage in dumping yard	141750.00	cum.

LOCATION AND QUANTITY OF DABRIES DISPOSAL

Location And Dumping	Size Of Dumping Yard	Types Of Land	Capacity Of Dumping Yard (Cu-M)
	150 X 40 X 8	Forest	48000.00cum.
	150 X 35 X 8	Forest	42000.00cum.
	260 X 40 X 5	Forest	52000.00cum.
		TOTAL	142000.00cum

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
चिन्याली सौड उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
नौगांव रेंज

Annexure-II

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S.No.	Total dabries	Material disposal by cartage.	Re-used material for road construction.	Total disposal in dumping zone	Balance dabries.
1	157500.00	141750.00	15750.00	142000.00	0.00

निर्माण [illegible]
चिन्यालीसौड़ उत्तर[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

[illegible]
उत्तरकाशी [illegible]

[illegible] क्षेत्राधिकारी
[illegible]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

नजरी नक्शा

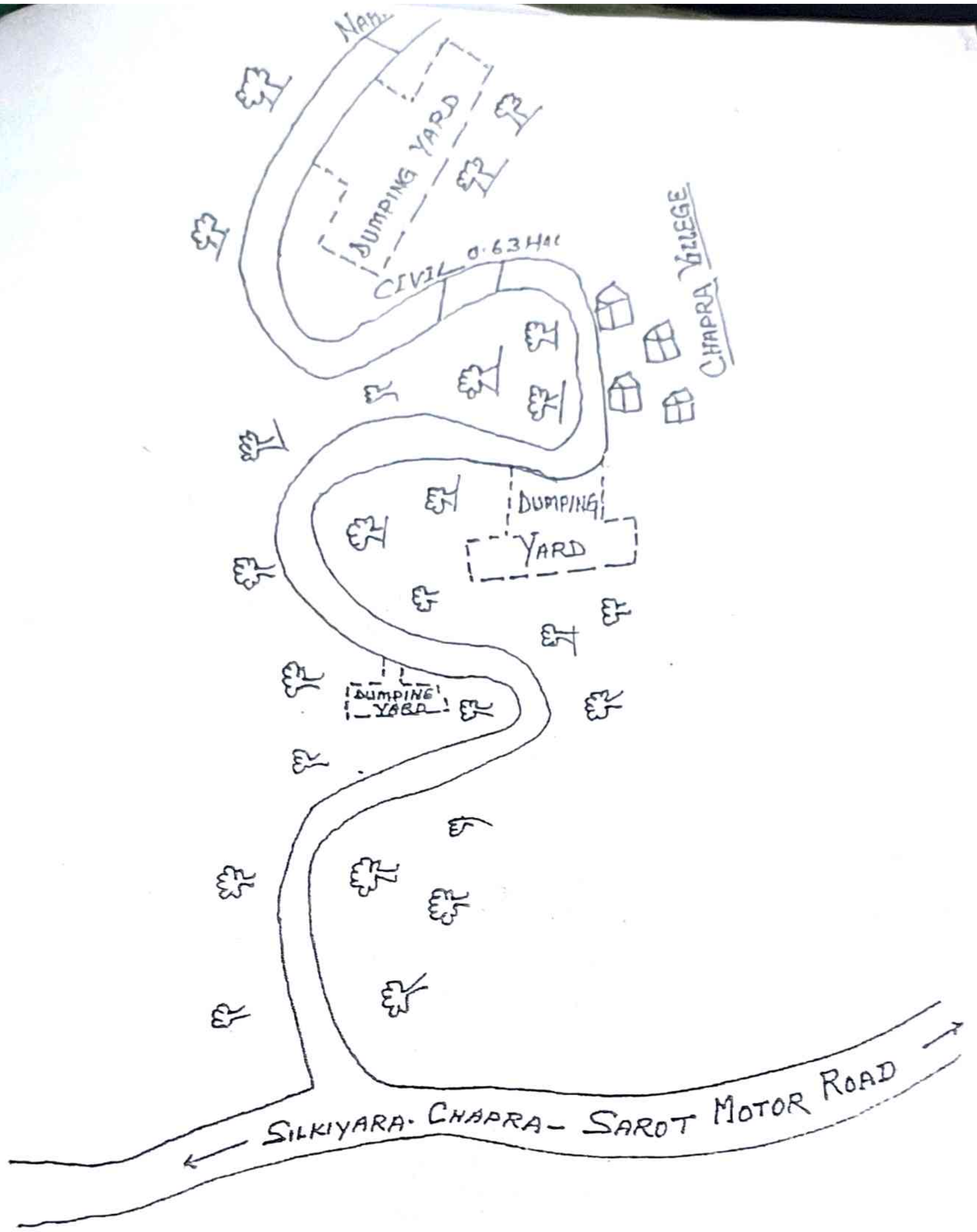

निर्माण खण्ड
चिन्यालीसौड उत्तर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
चिन्याली सौड (उत्तरकाशी)

...भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या	FP/UK/ROAD/21335/2016
2. परियोजना का नाम	विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत बनगांव–चोपड़ा–कसलाना मोटर मार्ग
3. परियोजना का क्षेत्रफल (अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत)	
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल (अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत)	7.4700
5. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	
6. वन विभाग का नाम	अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नौगांव राजि के अन्तर्गत चयनित सिविल भूमि चोपड़ा खसरा नम्बर 3219 कुल रक्बा 7.470 है0 का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव में 0.40 से कम प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 1100 पौध प्रति है0 दर से रोपित हो सकते है।

अतः उक्त प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज बर्नीगाड

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
87-राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स-0135-2745779 Email: yamuncircle@gmail.com

पत्रांक- 285 / 12-1 , दिनांक- देहरादून, 27 अगस्त 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट

विषय :- **जनपद उत्तराकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No. - FP/UK/ROAD/21335/2016)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक-05-03-2024 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक-26.07.2024 को प्रेषित प्रतिउत्तर।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि आपको ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से 07.03.3024 को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 07 बिन्दुओं में कमियां इंगित की गयी है। उक्त पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिनांक -26.07.2024 को प्रतिउत्तर के तौर पर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्र -4356/12-1, दिनांक-07.06.2024 अपलोड किया गया है, जो कि वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती का सम्बोधित है। इस पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्र में उत्तरकाशी वन प्रभाग से सम्बन्धित प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक स्थल के सम्बन्ध में ही आख्या/ सूचना का उल्लेख किया गया है।

उक्त से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा बिना किसी अवलोकन के ही उक्त पत्र पोर्टल में प्रतिउत्तर के रूप में अपलोड किया गया है। आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित कमियों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का निराकरण अध्यावधि तक नहीं हो पाया है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी 7 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(कहकशां नसीम, भा०व०से०)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

O/C

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0- 8 बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी. दिनांक: / /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/21335/2016).

सन्दर्भः कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1432/-12-1 दिनांक 24-01-2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2021 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/ दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.
2. Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.
3. On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.
4. As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.
5. Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.
6. As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.

7. As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदिया,

Signed by Neelima Shah
Date: 05-03-2024 11:31:13

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक-4356 /12-1, कोटबंगला, दिनांक 07/06/2024

सेवा में,
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी मे राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कामदा–कराल्ना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक-8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी., दिनांक- 05.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र– 472/2 सी0प्रा0, दिनांक– 06.04.2024 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जा रही है–

क्र0 सं0	प्रश्नालेख	उत्तरालेख
1	The proposed road alignment is not connecting to any village or habitation. State Govt shall submit the justification for the proposal road.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र दिया गया है। (संलग्नक–1)
2	Proper justification for muck dumping in forest area with comments of State Forest Department has not been submitted. However, the muck dumping area is part of diversion area. State government shall submit the justification for selecting muck dumping area in forest land or else select non-forest land for muck dumping purpose.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु 7.152 है0 वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत 2.292 है0 वन भूमि संरेखण हेतु तथा 1.125 है0 वन भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु प्रस्तावित की गई है, क्योंकि डम्पिंग यार्ड हेतु आस–पास के क्षेत्र में सिविल सोयम भूमि/नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
3	On perusal of CB analysis it is seen that revised NPV rate has not been included in CB ratio. It is requested to revise the CB analysis accordingly and upload the same.	It has been Rectify & uploaded in part-I as additional Information. New CB analysis has been annexed. (संलग्नक–2)
4	As per Part-I of the proposal, the cost of project is only 68.33 lakh and as per CB ratio the cost of project is 1478.57 lakh. State Government shall submit the clarification in this regard.	प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में Cost of Project को Rectify कर दिया गया है।
5	Proper muck dumping scheme is not found submitted. State Government shall submit the complete muck disposal plan mentioning the muck likely to be generated from the project, likely to be reused and dumped, dumping site capacity, swell factor, etc.	Proper muck dumping scheme जिसमें swell factor 25 % त[illegible] Reused Material को 40% लिया गया है, जो संलग्न (संलग्नक–3)
6	As per DSS analysis, the proposed diversion area becomes 4.84 ha instead of 7.152 ha. State Government shall submit clarification in this regard.	अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर के हस्तान्तरण हेतु है0 वन भूमि में से उत्तरकाशी वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत है0 तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के क्षेत्रान्तर्गत है0 वन भूमि प्रस्तावित है।
7	As per DSS report, out of 4 patches of the proposed CA area, two patches are covered with MDF. State Government is requested provide the suitability of planting 1000 trees per hectare for the area falling in MDF.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः [illegible] वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट [illegible] विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है [illegible] वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है0 तथा अपर यमु[illegible] के अन्तर्गत 7.470 है0 अर्थात कुल 14.304 है0 गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्त[illegible]

raftMan Letter\Letter.docx

O/C

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सं...

...ड देहरादून।

[illegible] स्थल [illegible] 6.834 [illegible]
किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त
प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता
प्रमाण पत्र को भाग–2 के Additional Information में अपलोड
कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न
है। (संलग्नक–4)

भवदीय,

(डी0पी0 [illegible])
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक– /12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 [illegible])
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।